रामेश्वर वगैराह बनाम धुड़ाराम वगैराह
दावा क्रमांक 26/2021
जीसीएमएस क्रमांक 2021/00042

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिकी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 रामेश्वर के हक बंट कब्जे काश्त में मौजा जानेवा पश्चिम में खेत खसरा नम्बर 70 रकबा 8.0047 हैक्टेयर में से 6.7124 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. वादी संख्या 2 नेनुराम के हक बंट कब्जे काश्त में मौजा खेराट के खेत खसरा नम्बर 6 रकबा 9.1459 हैक्टेयर में से 3.7258 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा व मौजा गोलसर के खेत खसरा नम्बर 92 रकबा 3.0109 हैक्टेयर पूरा रखाजाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाति है।
3. वादी संख्या 3 जालाराम के हक बंट कब्जे काश्त में मौजा जानेवा पश्चिम के खेत खसरा नम्बर 70 रकबा 8.0047 हैक्टेयर में से 1.2923 हैक्टेयर उत्तरी हिस्सा व मौजा खेराट के खेत खसरा नम्बर 6 रकबा 9.1459 हैक्टेयर में से 5.4201 हैक्टेयर उत्तरी हिस्सा रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
4. प्रतिवादी 1 क्रमशः सुगनीदेवी के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल एवं तहसीलदार नागौर को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 22.12.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner